न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील/डिक्री/टीए/6583/2002/बीकानेर

1. दाननाथ पुत्र श्री अन्नानाथ जाति नाथ निवासी ग्राम जोगिया बस्ती, लूणकरणसर तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।

------ अपीलांट

बनाम

1– नारायणी पत्नि श्री घूड़नाथ मृतक जरिये वारिसान–
1/1. घूड़नाथ पुत्र दीपनाथ (पति)
1/2. सुरेन्द्रनाथ पुत्र नारायणी पत्नि घूड़नाथ,
1/3. सुशीलनाथ पुत्र नारायणी पत्नि घूड़नाथ,
1/4. लालनाथ पुत्र नारायणी पत्नि घूड़नाथ,
1/5. मगननाथ पुत्र नारायणी पत्नि घूड़नाथ, समस्त जाति नाथ निवासी ग्राम जोगी आसन, तहसील लूनकरणसर जिला बीकानेर।
2– राजस्थान सरकार।

----- रेस्पोडेन्ट्स

खण्ड पीठ
श्री आर0डी0 मीणा, सदस्य
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

उपस्थित –
(1) श्री सोहनपालसिंह, अभिभाषक अपीलांट।
(2) श्री रमजान मोहम्मद, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट।

निर्णय **दिनांक :– 20.10.2022**

यह अपील धारा 224, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) के अन्तर्गत विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर द्वारा अपील संख्या 19/2002 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28–10–2002 बउनवानी नारायणी बनाम सरकार के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादिनी ने विद्वान परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) बीकानेर के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं सपठित धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत ग्राम रोही लूनकरणसर के खसरा नं0 97/46 रकबा 25 बीघा जिसके नवीन बन्दोबस्ती खसरा नं0

730/975/5 तादादी 4 बीघा सहित कुल 15 बीघा सम्वत् 2022 में दिनांक 10–05–1966 को 3 साला आवंटन हुआ था। आवंटन से लेकर आज तक निरन्तर कब्जा काश्त वादिनी का चला आ रहा है। इस आधार पर वादिनी खातेदार काश्तकार हो चुकी है लेकिन सैटलमेन्ट में वादिनी की भूमि का रकबा राज दर्ज कर दी गई जो गलत है। अतः वादिनी को प्रश्नगत आराजी की खातेदार काश्तकार घोषित की जावें। दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को तलब किया जिन्होंने उपस्थित होकर प्रतिदावा पेश कर दावे में अंकित तथ्यों से इन्कार किया। विद्वान परीक्षण न्यायालय ने दावे व प्रतिदावे के आधार पर तनकियात कायम कर उनका विस्तृत विवेचन कर दोनों पक्षों की बहस सुनकर अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 26–02–2002 से वादिनी का वाद खारिज कर दिया जिस निर्णय व डिक्री से अप्रसन्न होकर वादिनी ने विद्वान अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की जिसमें विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा उपस्थित योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनकर अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 28–10–2002 से अपीलांट की अपील स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) बीकानेर का निर्णय व डिक्री दिनांक 26–02–2002 निरस्त कर दिया। इसी निर्णय व डिक्री दिनांक 28–10–2002 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3– अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा0दी0 वास्ते इजाजत देने द्वितीय अपील प्रस्तुत करने हेतु प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि प्रार्थना पत्र में अंकित ग्राम रोही की विवादित भूमि कुल रकबा 41 बीघा उप निवेशन क्षेत्र की भूमि होने से अपीलांट/प्रार्थी को वर्ष 1977–78 के लिए आवंटित की गई थी जिसका हर साल नवीनीकरण होता रहा है एवं वर्ष 1987–88 तक नवीनीकरण हुआ, इसके बाद उक्त भूमि उपनिवेशन क्षेत्र से बाहर हो गई परन्तु मौके पर अपीलांट/प्रार्थी का खातेदार की हैसियत से कब्जा एवं काश्त बदस्तूर चला आ रहा है। इस कारण अपीलांट ने गैर खातेदारी दर्ज करवाने की चाराजोही सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत की जो आज भी जैरकार है परन्तु रेस्पो0 नं0 1 ने प्रार्थी को वाद एवं अपील में बिना पक्षकार बनाये बगैर एकतरफा में विद्वान अपीलीय न्यायालय से दिनांक 28–10–2002 को

प्रश्नगत भूमि की खातेदारी काश्तकारी के संबंध में गैर कानूनी तरीके से डिक्री पारित करवा ली जिसका आड़ में रेस्पो0 सं0 1 उक्त भूमि को अपने नाम राजस्व रेकार्ड में अंकन करवाने पर आमादा है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अपीलांट न्यायहित में स्वीकार कर विद्वान अपीलीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 28–10–2002 के विरूद्ध द्वितीय अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करने का निवेदन किया।

4– प्रार्थना पत्र के प्रत्युत्तर में विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 का तर्क है कि अपीलार्थी/प्रार्थी को हस्तगत प्रकरण में पक्षकार बनाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जो आवश्यक पक्षकार थे उन्हें अपील में पक्षकार बनाया जा चुका है। प्रश्नगत आराजी से अपीलार्थी/प्रार्थी का कोई संबंध व सरोकार नहीं होने से प्रार्थी/अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर द्वितीय अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान नहीं की जावें।

5– हमने प्रार्थना पत्र पर योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी। पत्रावली एवं उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपान्त अध्ययन व अवलोकन उपरान्त प्रस्तुत अपील में अपीलांट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा0दी0 स्वीकार कर द्वितीय अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

6– इसके उपरान्त हमने प्रकरण के गुणावगुण पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी।

7– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस में अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये तर्क दिये कि विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय कानून एवं मिसल पर उपलब्ध तथ्यों, साक्ष्य एवं राजस्व रिकार्ड के विपरीत होने से प्रथम दृष्ट्या निरस्तनीय है। प्रश्नगत आराजी कुल रकबा 41 बीघा किस्म बंजड़ उप निवेशन क्षेत्र की भूमि होने के कारण अपीलांट दीनानाथ को सन् 1977–78 में आवंटित हुई एवं सन् 1987–88 तक नवीनीकरण की जाती रही है, इसके बाद उक्त वर्णित भूमि उपनिवेशन क्षेत्र से बाहर हो गयी परन्तु मौके पर कब्जा एवं काश्त अपीलांट का बदस्तूर जारी है। राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 03–01–1979 की अनुपालना में जिलाधीश बीकानेर ने दिनांक 03–03–1989 एवं 30–3–1989 को आदेश जारी कर ऐसे आवंटित लोगों को राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदार दर्ज करने का आदेश प्रदान किया। इसके बावजूद भी प्रश्नगत आराजी राजस्व रिकार्ड में सिवायचक

दर्ज कर दी। वादी द्वारा प्रस्तुत किये गये वादपत्र का जवाबदावा राज्य सरकार ने प्रस्तुत कर स्पष्ट निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी दाननाथ (अपीलांट) को वर्ष दर वर्ष आवंटित की जाती रही है जिसका नोट भी राजस्व रेकार्ड में लगा हुआ है तथा मौके पर अपीलांट का कब्जा एवं काश्त है। वादी का प्रश्नगत आराजी पर कब्जा एवं काश्त भी नहीं है। इस कारण वादपत्र निरस्त करने का निवेदन किया। वादी ने वादग्रस्त आराजी साबिक खसरा नं0 97/46 रकबा 25 बीघा पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही परन्तु इसको साबित करवाने हेतु मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत नहीं किया एवं ना ही यह साबित करवाया कि उक्त साबिक खसरा नं0 97/46 से ही नये नंबर 730/975/5 बनाये गये हैं। विद्वान परीक्षण न्यायालय के दावे में सरकार का जवाब में तनकी सं0 3 में दाननाथ आवश्यक पक्षकार था जिसे पक्षकार नहीं बनाया गया। मेडी विकास समिति भी आवश्यक पक्षकार थी। विद्वान अपीलीय न्यायालय का निर्णय गलत है जिसमें कोई मिलान क्षेत्रफल पेश नहीं किया गया। आवंटन के आधार पर दावा नहीं किया जा सकता है। दावा धारा 13, 15 एवं 19 के आधार पर ही हो सकता है। उपनिवेशन अधिनियम के तहत कार्यवाही होती है। वादी का वाद मेन्टेनेबल नहीं था। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर विद्वान अपीलीय न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 28-10-2002 निरस्त की जाकर उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) बीकानेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26-02-2002 यथावत बहाल रखी जाने का निवेदन किया गया।

8- प्रत्युत्तर में योग्य अधिवक्ता रेस्पो0 का कथन है कि विद्वान परीक्षण न्यायालय के समक्ष दावा सरकार के खिलाफ प्रस्तुत किया गया जिसमें कब्जा काश्त हमारा है जिसे विद्वान परीक्षण न्यायालय ने खारिज कर दिया जिसकी अपील विद्वान अपीलीय न्यायालय में पेश की जो अपील स्वीकार की गई तथा पारित निर्णय व डिक्री उचित एवं न्यायसंगत है जिसमें राज्य सरकार के परिपत्र का हवाला दिया गया है। इस कारण अपीलार्थी को पक्षकार बनाने की आवश्यकता नहीं थी। विद्वान अपीलीय न्यायालय ने नियमानुसार अपनी फाईंडिंग दी है। अपील में जो आवश्यक पक्षकार नहीं है वो अपील पेश नहीं कर सकता है। रेस्पोडेन्ट तो आवंटन के आधार पर वाद लाये जिसमें धारा 13, 15 व 19 की आवश्यकता

नहीं है। उक्त अपील के विरूद्ध राज्य सरकार ने कोई अपील सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की। विद्वान अपीलीय न्यायालय का निर्णय सही है। इसलिए अपीलांट की अपील काबिल खारिज योग्य है।

9– हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन एवं अवलोकन किया।

10– विद्वान उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) बीकानेर ने अपने निर्णय दिनांक 26–02–2002 से वादिनी का वाद स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया है।

11– विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 28–10–2002 से अपीलांट की अपील स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) का निर्णय व डिक्री दिनांक 26–02–2002 निरस्त की गई है।

12– पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात ई.एक्स–1 आवेदन बाबत् आवंटन आराजी काश्त है जिनमें मु0 नारायणी जाति जोगी ग्राम जोगीआसन के खसरा नं0 97/46 रकबा 25 बीघा आवंटन करने के लिए दिनांक 11–04–1966 आवेदन किया है। जिसकी पुश्त पर अंकित है– सायल के नाम लूनकरणसर में 2022 में 97/46 रकबा 25 बीघा एक साला अलाट हुआ है। एक साल की मियाद बढ़ायी जाती है, दिनांक 13–05–1966. ई.एक्स–2 नकल जमाबन्दी संवत् 2051 से 2054 में अंकित है– अनाधिकृत भूमि सिवायचक कृषि योग्य भूमि, नकल खसरा गिरदावरी ई.एक्स–3 में खसरा नं0 930/97 आराजीराज दर्ज है। जमाबन्दी सम्वत् 2023 से 2026 ई.एक्स.–6 नकल खसरा गिरदावरी में मु0 निरायणी देवी जोजा घूड़नाथ कौम नाथ सा0 जोगीआसन। स0 2022 जिन्स के विवरण में बा0मो0 15, 20 बीघा दर्ज है। ई.एक्स–4 नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2021 से 2023 में बा0सोठ गुवार काश्त दर्ज है। नकल खसरा गिरदावरी गिरदावरी ई.एक्स–5 संवत् 2022 में मु0 निराणी जोजे घुड़नाथ कौम नाथ सा0 जोगीआसन काश्तकार 2016 दर्ज है।

13– नकल जमाबन्दी ग्राम लूणकरणसर ई.एक्स–7 सम्वत् 2023 से 2026 में खसरा नं0 97/32 व 2022 रकबा कुल 75 बीघा मु0

निरायणी देवी जोजा घूड़नाथ के अवलोकन से स्पष्ट है कि मु0 नारायणी को लूनकरणसर में 2022 में 97/46 रकबा 25 बीघा एक साल अलाट हुआ है। जिसकी एक साल की मियाद बढ़ायी गयी थी।

14– वादी द्वारा जो जमाबन्दी ई.एक्स–7 पेश की गई है उसमें खसरा नं0 97/32 रकबा 50 बीघा व खसरा नं0 2022 रकबा 25 बीघा दर्ज है लेकिन वादी द्वारा मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह सिद्ध हो कि खसरा नं0 97/46 से खसरा नं0 730/975/5 बना हो। खसरा नं0 730/975/5 तो राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज है। उक्त समस्त राजस्व रिकार्ड/दस्तावेजात से विवादित आराजी पर वादी को कोई हक व अधिकार सिद्ध नहीं होते हैं। इन सब से वादी का वाद सिद्ध नहीं होता है जिससे स्पष्ट है कि विद्वान उपखण्ड अधिकारी द्वारा वादी का वाद विधिसम्मत् रूप से खारिज किया गया है।

15– विद्वान अपीलीय न्यायालय ने अपील स्वीकार कर विद्वान उपखण्ड अधिकारी का निर्णय दिनांक 26–02–2002 निरस्त करते हुए वादी को ग्राम लूणकरणसर के पुराने खसरा नं0 97 मि0 हाल खसरा नं0 730/975/5 मि0 रकबा 15 बीघा भूमि का खातेदार घोषित किया है जो निम्न आधारों पर पूर्णतः गलत सिद्ध होता है–

1– वादी को सर्वप्रथम एक साल के लिये भूमि काश्त पर दी गई जबकि विद्वान अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय में लिखा है कि यह निर्विवाद है कि अपीलांट को ग्राम लूणकरणसर में खसरा नं0 97/46 में 25 बीघा भूमि का आवंटन वर्ष 1966 में किया गया है। इसका कोई राजस्व रिकार्ड वादी ने पेश नहीं किया है।

2– विद्वान अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय में लिखा है कि राज्य सरकार की अधिसूचना के अन्तर्गत अपीलांट/वादी का आवंटन 10 साला आवंटन की श्रेणी में आता है और उसे इस भूमि पर गैर खातेदारी के अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। उक्त तथ्य पूर्णतः असत्य है वादी को कभी भी भूमि आवंटन नहीं हुई है उसे भूमि एक साल के लिये काश्त पर दी गयी थी जिसका नवीनीकरण बाद में खारिज हो गया। भूमि आवंटन का न तो कोई नामान्तरकरण खुला न ही जमाबन्दी में कभी गैर खातेदारी दर्ज हुई। वादी द्वारा अपने दावे को सिद्ध करने हेतु कोई भी राजस्व रिकार्ड, जमाबन्दी, मिलान क्षेत्रफल इत्यादि पेश नहीं किया गया।

जिससे स्पष्ट है कि विद्वान अपीलीय न्यायालय का निर्णय 28–10–2002 पूर्णतया विधिसम्मत् होकर काबिले खारिजी है।

16– अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट **स्वीकार** की जाती है। विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28–10–2002 निरस्त किया जाता है एवं उपखण्ड अधिकारी, (उत्तर) बीकानेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26–02–2002 यथावत् रखा जाता है।

17– पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र माहेश्वरी) **(आर0डी0 मीणा)**
सदस्य **सदस्य**